न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–129/2020–21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

जयमसीह लकड़ा – विक्रेता
नीलीमा तिड़ू – क्रेता

क्रम और	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
.20	(आदेश — नीचे देखें)	

आदेश

आवेदक जयमसीह लकड़ा पिता स्व0 पतरस लकड़ा ग्राम–कपरिया, पो0–गुटजोरा, थाना खूँटी जिला खूँटी ने नीलीमा तिड़ू पति महादेव मुण्डा ग्राम–अनिगड़ा कुंदी, पो0–अनिगड़ा, थाना–खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
कपरिया	237	31	23	0.09½

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0406244249 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 763 दिनांक 23.09.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम छोटा सोमरा उरांव वगैराह हैं। पंजी II के अनुसार थोमस उरांव वगैराह के नाम भूमि का रकवा 15.64 एकड़ है। आवेदक के कुल रकबा 3.91 एकड़ भुमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 7620.00(सात हजार छ सौ बीस)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.81½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण जयमसीह लकड़ा पिता स्व0 पतरस लकड़ा को नीलीमा तिड़ू पति महादेव मुण्डा के साथ ग्राम कपरिया के खाता सं0 31 खेसरा संख्या 23 कुल रकबा 0.09½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 7620.00(सात हजार छ सौ बीस)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

28/09/20 — भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी।

28/09/20 — भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी।